य उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जयपुर

गोपाल **बनाम** राम निवास वगैरह

संख्या /वर्ष 239/2018 : दावा /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
27/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। दावा पत्रावली व राजस्व रिकार्ड, प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC व जवाब प्रा० पत्र 07 R 11 CPC का अवलोकन किया गया तथा वकील उभयपक्षों की बहस का मनन / सगौर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 4 के विरुद्ध घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया है। वादीगण ने घोषणा का दावा रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध मौखिक इकरारनामे के आधार पर लगाया है। वाद पत्र मे मौखिक इकरारनामे के कथन उत्तर पुष्टि में कोई पुराने दस्तावेजात अथवा कब्जे/ उपयोग- उपभोग संबंधी दस्तावेजात भी संलग्न नहीं किए हैं। प्रश्नगत संपत्ति के हक- अधिकार रिकॉर्डेड खातेदार से वादीगण को किस आधार पर प्राप्त हों इसके संबंध में वाद पत्र में मौखिक इकरारनामें का उल्लेख किया गया है जो सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के द्वारा निषिद्ध है। अतः प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादीगण का दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आराजी ख०न० 917 रकबा 0.32 हे०, ख०न० 918 रकबा 0.32 हे०, ख०न० 919 रकबा 0.01 हे०, कुल किता-3 कुल रकबा 0.65 हे० वाके ग्राम बम्बाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर कपोल कल्पित आधार, विधि द्वारा वर्जित एंव प्रथमदृष्टया वाद कारण के अभाव में खारिज [illegible] डिक्री पृथक से तैयार पेश करें। सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Sin
Date: 2024.02.02 10:35:54 IST
Reason: SelfAttested